

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिश। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा प्रभागीय वनाधिकारी की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)	<i>Recommended for Approval.</i> <i>[Signature]</i> <i>28/12/16</i>
--	--

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर **सुरेश चन्द्र**
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ० प्र०, लखनऊ

नाम

सरकारी मोहर